

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

उप निदेशक (होमियोपैथिक),
आयुष निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-200 अन्य पद्धतियां -0202 औषधीय पौधों सम्बंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड- 20-2210022000202 माँग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान उपबंधित राशि कुल 13,47,10,000/- (तेरह करोड़ सैतालीस लाख दस हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत राज्यादेश सं० 390 (आ०चि०) दिनांक 23.03.2018 द्वारा राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना हेतु औषधीय पौधों सम्बंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन शीर्ष में कुल 13,47,10,000/- (तेरह करोड़ सैतालीस लाख दस हजार) रुपये मात्र के सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान की उपबंधित राशि से कुल 13,47,10,000/- (तेरह करोड़ सैतालीस लाख दस हजार) रुपये मात्र के निम्नांकित रूप में आवंटन दी जाती है।

विपत्र कोड- 20-2210022000202 - 31- सहायता अनुदान

क्र०सं०	विषय शीर्ष	उपबंध	आवंटन का प्रस्ताव
1	2	3	4
1	0202 31 04 सहायक अनुदान- वेतन	15000000	15000000
2	0202 31 05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियाँ	10000000	10000000
3	0202 31 06 सहायक अनुदान- गैर वेतन	109710000	109710000
20-2210022000202 - 31- सहायता अनुदान		134710000	134710000

2. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निदेशानुसार एवं प्रावधानानुसार राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना द्वारा उपर्युक्त राशि का व्यय किया जाना है।

3. उक्त राशि के व्यय का वहन शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-200 अन्य पद्धतियां -0202 औषधीय पौधों सम्बंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड- 20-2210022000202 माँग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान की उपबंधित राशि से 31 04 सहायक अनुदान- वेतन 31 05 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियाँ एवं 31 06 - सहायक अनुदान-गैर वेतन ईकाई में की जायेगी।

5. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं परिपत्र संख्या-423/वि० दिनांक 31.03.2016 एवं 2793/वि० दिनांक-4.4.2016 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

6. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (होमियो०), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के खाते में जमा की जायेगी ताकि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निदेशानुसार एवं प्रावधानानुसार राज्य आयुष मिशन के संचालन से सम्बंधित कार्य हो सके।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपर्युक्त राशि उपबंधित है एवं उपर्युक्त उपयोग हेतु आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

11. इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विशवासभाजन

सरकार के विशेष सचिव
23/3/18
8/3/03

ज्ञाप सं०- 53/ब (आ. चि.) /पटना, दिनांक - 23.03.2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नई सचिवालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना एवं कोषाध्यक्ष राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, स्वा० के आशुलिपिक/प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/प्रशाखा पदा०-16/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
23/3/18
8/3/03